राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कैलाशचन्द | घासीलाल

तारीख हुक्म	111/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/4/21	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा दिनांक 26/03/2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के स्थान पर धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत होना सहवन से अंकित हो गया था अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पढ़ा एवं माना जावे। उक्त प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया एवं आज अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित आये एवं अधिवक्ता रेस्पो. ने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में अपनी अनापत्ति जाहिर की एवं उभयपक्षों द्वारा पूर्व में की गयी बहस के आधार पर अपील का निर्णय किये जाने का निवेदन किया अत; उभयपक्षों की सहमती के आधार पर प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की गुणावगुण पर की गयी बहस का मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा इस अपील के माध्यम से मुख्य रूप से यह अनुतोष चाहा है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन वाद में तकासमें की प्राथमिक डिक्री तो जारी कर दी गयी किन्तु उसके साथ निषेधाज्ञा जारी नही कर प्रार्थी के अधिकारों को संरक्षण प्रदान नही करने में क़ानूनी त्रुटी की है। इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय व् डिक्री जैर अपील दिनांक 02/02/2021 का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन वाद में पक्षकारो के मध्य विभाजन की डिक्री मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर पारित की गयी है, जिसके गुणावगुण के सन्दर्भ में अपीलार्थी द्वारा भी कोई आपत्ति दर्ज नही कराई गयी है जहाँ तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री में निषेधाज्ञा प्रदान नही किये जाने की अपीलार्थी की आपत्ति का प्रश्न है तो इस सन्दर्भ में विधिक प्रक्रिया स्पष्ट है कि वाद के अन्तिम निस्तारण से पूर्व वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के माध्यम से निषेधाज्ञा का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जा सकता है एवं वाद का	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

1/4/21
राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर